(60)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट कैम्प

M 5506-दो/16

रीवा म0प्र0

5 रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

आवेदक श्री ऋषिकेश द्विवेदी द्वारा पेश 23-11-16

23-11-16

कलेक्टर ऑफ कोर्ट्स राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

ऋषिकेश द्विवेदी तनय ददोली प्रसाद द्विवेदी उम्र 42 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम बीरखाम तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 **--निगरानीकर्ता/आवेदक**

बनाम

1. रामलखन द्विवेदी तनय नामालुम उम्र 70 वर्ष पेशा कृषि
2. मिथिलेश कुमारी पत्नी दिनेश द्विवेदी उम्र 42 वर्ष पेशा घरूकार्य

दोंनों निवासी ग्राम बीरखाम तहसील सेमरिया, थाना सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 **--गैर निगरानीकर्ता/अनावेदकगण**

आवेदन पत्र रिवीजन क्रमांक आर 5313-2/2016 मे पारित अदम पैरवी मे खारिज आदेश दिनांक 27.10.2016 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुर्नस्थापित कर दायरा तर्क सुनकर आगे विधि अनुसार कार्यवाही किए जाने।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35(3)म.प्र.भू.रा.सं.

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न हैंः-

1.यह कि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण निगरानी क्रमांक आर 5313-2/2016 माननीय न्यायालय के समक्ष तर्क के लिए दिनांक 27.10.16 को नियत था जिसमे अधिवक्ता की अनुपस्थिति मे प्रकरण अदम

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–M.5506–II/16

जिला–रीवा

ऋषीकेश द्विवेदी/रामलखन द्विवेदी

(1)	(2)	(3)
22.03.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	